फैक्स / ई-मेल

महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र व थाने का दर्जा

संख्या- / 2021 / 364 पी /छः-पु-6-2021-300 (97) /1992

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

2- अपर पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

गृह पुलिस अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2021

विषयः महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र की स्थापना एवं उन्हें थाने का दर्जा प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-आधु-3/क-38-2021 दिनांक 04-03-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तथ्यों से सूचित किया गया है:-

" -----प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए संचालित मिशन शक्ति के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र संख्या डीजी- सात-एस-3(43)2020 दिनंक 25-02-2021 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में एक ही महिला थाना होने के कारण महिलाओं से सम्बन्धित मामलो में काउन्सलिंग में बहुत अधिक समय लगने आदि तथ्यों के दृष्टिगत समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया गया है कि वे पीड़ित महिलाओं द्वारा की गयी शिकायतों पर त्वरित सुनवाई करायें ताकि लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए संचालित मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिलाओं/ बालिकाओं की समस्याओं के त्वरित सुनवाई /निराकरण एवं जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों से महिलाओं को आने में होने वाली असुविधा को देखते हुए समस्त जनपदों में उपलब्ध अपर पुलिस अधीक्षकों के अधीन एक-एक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी (महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र) की स्थापना किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।---"

2- उक्तानुसार अवगत कराते हुए उ0प्र0पुलिस मुख्यालय के उक्त पत्र दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालय के जनपदों में उनके सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र की स्थापना व उन्हें थाने का दर्जा प्रदान करने संबंधी शासकीय/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या-24/ 2021/307पी/छः-पु-6-2021-300(97)/1992 दिनांक 07-03-2021 निर्गत किया गया है।

3- उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-3/क-38-2021 दिनांक 10-03-2021 द्वारा 18 परिक्षेत्रीय महिला पुलिस चौकियों के कुल 79 चौकियों में से 18 स्वीकृत महिला पुलिस चौकियों को घटाते हुए शेष 61 चौकियों की स्थापना कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। अतः प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन को दृष्टिगत रखते हुए तथा महिलाओं/ बालिकाओं की समस्याओं की त्वरित सुनवाई व समस्याओं के निराकरण एवं जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों से महिलाओं को आने में होने वाली असुविधा को दूर किये जाने के उद्देश्य से उक्त प्रस्ताव के सम्यक परीक्षणोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर पुलिस अधीक्षकों के अधीन निम्नांकित जनपदों में उनके सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र की स्थापना (कुल 61) व उन्हें थाने का दर्जा प्रदान करने की श्रीराज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0सं0	परिक्षेत्र का नाम	जनपद	थाना का नाम	नवीन महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र
1	2	3	4	5
1.	लखनऊ	खीरी	गोला गोकर्णनाथ	गोला गोकर्णनाथ
2.	लखनऊ	सीतापुर	सिधौली	सिधौली

3.	लखनऊ	हरदोई	कासिमपुर	कासिमपुर
4.	लखनऊ	रायबरेली	लालगंज	लालगंज
5.	लखनऊ	लखनऊ ग्रामीण	निगोहा	निगोहा
6.	अयोध्या	बाराबंकी	रामसनेहीघाट	रामसनेहीघाट
7.	अयोध्या	सुल्तानपुर	लम्भुआ	लम्भुआ
8.	अयोध्या	अम्बेडकरनगर	जलालपुर	जलालपुर
9.	अयोध्या	अमेठी	मोहनगंज	मोहनगंज
10.	देवीपाटन गोण्डा	बहराइच	नानपारा	नानपारा
11.	देवीपाटन गोण्डा	श्रावस्ती	इकौना	इकौना
12.	देवीपाटन गोण्डा	बलरामपुर	उतरौला	उतरौला
13.	मिर्जापुर	भदोही	भदोही	भदोही
14.	मिर्जापुर	सोनभद्र	दुद्धी	दुद्धी
15.	वाराणसी	जौनपुर	मछलीशहर	मछलीशहर
16.	वाराणसी	गाजीपुर	कासिमाबाद	कासिमाबाद
17.	वाराणसी	चन्दौली	चकिया	चकिया
18.	आजमगढ	मऊ	घोसी	घोसी
19.	आजमगढ	बलिया	बैरिया	बैरिया
20.	बस्ती	सन्तकबीर नगर	धनघटा	धनघटा
21.	बस्ती	सिद्धार्थनगर	डुमरियागंज	डुमरियागंज
22.	गोरखपुर	गोरखपुर	कैम्पियरगंज	कैम्पियरगंज
23.	गोरखपुर	देवरिया	सलेमपुर	सलेमपुर
24.	गोरखपुर	कुशीनगर	तरयासुजान	तरयासुजान
25.	गोरखपुर	महराजगंज	निचलौल	निचलौल
26.	कानपुर नगर	कानपुर नगर	चौबेपुर	चौबेपुर
27.	कानपुर नगर	कानपुर नगर	सचेन्डी	सचेन्डी
28.	कानपुर नगर	कानपुर देहात	डेरापुर	डेरापुर
29.	कानपुर नगर	इटावा	भरथना	भरथना
30.	कानपुर नगर	औरैया	बिधूना	बिधूना
31.	कानपुर नगर	फतेहगढ़	कायमगंज	कायमगंज
32.	कानपुर नगर	कन्नौज	छिबरामऊ	छिबरामऊ
33.	प्रयागराज	प्रयागराज	औद्योगिक क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्र
34.	प्रयागराज	प्रतापगढ़	पट्टी	पट्टी
35.	प्रयागराज	कौशाम्बी	सरायँ अकिल	सरायँ अकिल
36.	प्रयागराज	फतेहपुर	बिन्दकी	बिन्दकी
37.	चित्रकूट धाम बांदा	चित्रकूट	मऊ	मऊ
38.	चित्रकूट धाम बांदा	हमीरपुर	राठ	राठ
39.	चित्रकूट धाम बांदा	महोबा	चरखारी	चरखारी
40.	मुरादाबाद	रामपुर	मिलक	मिलक
41.	मुरादाबाद	सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी
42.	मुरादाबाद	अमरोहा	गजरौला	गजरौला
43.	मुरादाबाद	बिजनौर	चॉदपुर	चॉदपुर
44.	मेरठ	बागपत	बडौत	बडौत
45.	मेरठ	बुलन्दशहर	डिबाई	डिबाई
46.	मेरठ	गाजियाबाद	मुरादनगर	मुरादनगर
47.	मेरठ	हापुड	बाबूगढ	कुचेसर चौपला
48.	अलीगढ	हाथरस	सासनी	सासनी
49.	अलीगढ	एटा	अलीगंज	अलीगंज
50.	अलीगढ	कासगंज	गंजडुण्डवारा	गंजडुण्डवारा
51.	झांसी	जालौन	जालौन	जालौन

52.	झांसी	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट
53.	आगरा	आगरा	अछनेरा	पुलिस चौकी किरावली
54.	आगरा	मथुरा	गोर्वधन	गोर्वधन
55.	आगरा	फिरोजाबाद	सिराजगंज	सिराजगंज
56.	आगरा	मैनपुरी	करहल	करहल
57.	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	बुढ़ाना	बुढ़ाना
58.	सहारनपुर	शामली	कैराना	कैराना
59.	बरेली	बदायूं	बिल्सी	बिल्सी
60.	बरेली	शाहजहॉपुर	जलालाबाद	जलालाबाद
61.	बरेली	पीलीभीत	पूरनपुर	पूरनपुर

4- कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए जनपद के संबंधित पुलिस अधिकारियों को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

5- प्रकरण में जनशक्ति/ पदों के सृजन आदि के संबंध में पृथक से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /2021 / 364 पी (1) /छः-पु-6-2021- 300(97) /1992, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा- प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक/ स्थापना/ प्रशासन/कानून-व्यवस्था/ तकनीकी सेवाएं/ लाजिस्टिक/ पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड/ अभिसूचना/ ई0ओ0डब्लू0/ एस0टी0एफ0/ ए0टी0एस0/यू0पी0-100/ टेलीकाम/ विजिलेंस/ भ्र0नि0सं0/ विशेष जांच/ यातायात/ पी0ए0सी0/ एस0आई0टी0/ सी0बी0सी0आई0डी0/ रूल्स एंड मैनुअल/ मानवाधिकार/ जी0आर0पी0/फायर सर्विस/ सुरक्षा/ महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के संबंधित पुलिस अधिकारियों को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।
7. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त पुलिस महानिरीक्षक (परिक्षेत्र)- उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के संबंधित पुलिस अधिकारियों को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।
9. **समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए अनुपालन कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।**
10. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

11. **संबंधित-समस्त अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए अनुपालन कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा नियमित अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाये। *(द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक)***
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
13. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
14. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
15. वित्त ई 12, उ0प्र0शासन।
16. गृह पुलिस अनुभाग-7 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निर्देशों से अवगत होते हुए अपने अनुभाग से संबंधित अपेक्षित कार्यवाही समयबद् रूप से सुनिश्चित कराते हुए इस अनुभाग को भी प्रगति से यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।
17. **गृह (पुलिस) अनुभाग-15, उ0प्र0शासन।**
18. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/ सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
19. मीडिया सेल, गृह विभाग।
20. **गृह नियंत्रण कक्ष**, उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सर्वसंबधित को ई-मेल/ फैक्स कराने का कष्ट करें।
21. गार्ड बुक/ संबंधित स0अ0।

आज्ञा से,

(कुमार प्रशान्त)
विशेष सचिव।

4125 एसीएस/ गी/2021

364

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ–।

पुलिस भवन (सिंग्नेचर विल्डिंग), टावर–प्रथम, 08 वॉ तल, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226002

पत्र संख्याः 3/क–38–2021 दिनांकःमार्च 10 ,2021

सेवा में,

श्री अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव गृह,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

विषयः– मिशन शक्ति के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए संचालित मिशन शक्ति के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय के परिपत्र संख्या डीजी–सात–एस–3(43)2020 दिनंक 24–02–2021(**छाया प्रति संलग्न**) द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में एक ही महिला थाना होने के कारण महिलाओं से सम्बन्धित मामलो में काउन्सलिंग में बहुत अधिक विलम्ब होता है। फलस्वरूप पीड़ित महिलाओं द्वारा शिकायत किये जाने के उपरान्त भी प्रत्यक्ष रूप से मामले में सुनवाई नहीं हो पाती है और काफी अधिक संख्या में मामले लम्बित रहते है। साथ ही जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों से महिलाओं को आने में भी असुविधा होती है, **ऐसी समस्याओं के निराकरण हेतु शासन की मंशानुसार समस्त जनपदों में उपलब्ध अपर पुलिस अधीक्षकों के अधीन एक–एक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी (महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र) की स्थापना किया जाना है।**

2– इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 297/छः–पु–6–2021–300 (97)/1992 दिनांक 03–03–2021 का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके द्वारा **महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र** की स्थापना करते हुए इसे थाने का दर्जा दिये जाने संबंधी प्रस्ताव (पूर्ण विवरण सहित) परीक्षणोपरान्त अभिमत सहित शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 08–03–2021 को **अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस** के अवसर पर प्रत्येक परिक्षेत्रीय मुख्यालय के जनपद में इन **महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र** का उद्घाटन कराया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में यह भी अनुरोध करना है कि पूर्व में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के संख्या डीजी–सात–एस–3(43)2020 दिनांक 24–02–2021 द्वारा समस्त रिपोटिंग पुलिस चौकी की स्थापना के क्रम में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या 3/क–38–2021, दिनांक 04–03–2021 द्वारा 18 परिक्षेत्र के मुख्यालय के जनपदो में एक–एक महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र की स्थापना एवं उन्हे थाने का दर्जा प्रदान कराने के साथ ही विभिन्न प्रकार के कुल–126 पदों की शासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में शासन के शासनादेश संख्या 24/2021/307 पी/छः–पु–6 –2021–300(97)/1992, दिनांक 07–03–2021 द्वारा 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालय के जनपदों में महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र की स्थापना व उन्हें थाने का दर्जा प्रदान करने की मा0 श्री राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या 3/क–38–2021, दिनांक 05–03–2021 द्वारा विभिन्न जनपदों में 24

(भगवान स्वरूप)
सचिव
गृह विभाग
उ0 प्र0 शासन

(कुमार ...)
उ0 प्र0 शासन।

महेन्द्र सिंह,
अनु सचिव
गृह विभाग

महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र की स्थापना एवं उन्हे थाने का दर्जा प्रदान कराने के साथ ही विभिन्न प्रकार के कुल 168 पदों की शासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है, परन्तु पुनः पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के निर्देशानुसार जनपद आगरा में 02, कानपुर नगर में 03, प्रयागराज में 02, गोरखपुर 02 व शेष 70 जनपदों में एक–एक इस प्रकार **कुल–79 महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र की स्थापना एवं उन्हें थाने का दर्जा** प्रदान किये जाने की कार्यवाही किया जाना है। **उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 05–03–2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को निरस्त कर** व 18 परिक्षेत्रीय महिला पुलिस चौकियों के कुल 79 चौकियों में से **18 स्वीकृत महिला पुलिस चौकियों** को घटाते हुए **शेष 61 चौकियों की स्थापना कराया जाना आवश्यक है।**

4– उपरोक्त के क्रम में परिक्षेत्रीय मुख्यालय के जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न जनपदों में उनके सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है:–

क0सं0	परिक्षेत्र का नाम	जनपद	थाना का नाम	प्रस्तावित महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र
1	2	3	4	5
1–	लखनऊ	खीरी	गोला गोकर्णनाथ	गोला गोकर्णनाथ
2–	"	सीतापुर	सिधौली	सिधौली
3–	"	हरदोई	कासिमपुर	कासिमपुर
4–	"	रायबरेली	लालगंज	लालगंज
5–	"	लखनऊ ग्रामीण	निगोहा	निगोहा
6–	अयोध्या	बाराबंकी	रामसनेहीघाट	रामसनेहीघाट
7–	"	सुल्तानपुर	लम्भुआ	लम्भुआ
8–	"	अम्बेडकरनगर	जलालपुर	जलालपुर
9–	"	अमेठी	मोहनगंज	मोहनगंज
10–	देवीपाटन गोण्डा	बहराइच	नानपारा	नानपारा
11–	"	श्रावस्ती	इकौना	इकौना
12–		बलरामपुर	उतरौला	उतरौला
13–	मिर्जापुर	भदोही	भदोही	भदोही
14–	"	सोनभद्र	दुद्धी	दुद्धी
15–	वाराणसी	जौनपुर	मछलीशहर	मछलीशहर
16–	"	गाजीपुर	कासिमाबाद	कासिमाबाद
17–	"	चन्दौली	चकिया	चकिया
18–	आजमगढ	मऊ	घोसी	घोसी
19–	"	बलिया	बैरिया	बैरिया
20–	बस्ती	सन्तकबीर नगर	धनघटा	धनघटा
21–	"	सिद्धार्थनगर	डुमरियागंज	डुमरियागंज
22–	गोरखपुर	गोरखपुर	कैम्पियरगंज	कैम्पियरगंज
23–	"	देवरिया	सलेमपुर	सलेमपुर
24–	"	कुशीनगर	तरयासुजान	तरयासुजान
25–	"	महराजगंज	निचलौल	निचलौल
26–	कानपुर नगर	कानपुर नगर	चौबेपुर	चौबेपुर
27–	"	"	सचेन्डी	सचेन्डी
28–	"	कानपुर देहात	डेरापुर	डेरापुर

29–	"	इटावा	भरथना	भरथना
30–	"	औरैया	बिधूना	बिधूना
31–	"	फतेहगढ़	कायमगंज	कायमगंज
32–	"	कन्नौज	छिबरामऊ	छिबरामऊ
33–	प्रयागराज	प्रयागराज	औद्योगिक क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्र
34–	"	प्रतापगढ़	पट्टी	पट्टी
35–	"	कौशाम्बी	सरायॅ अकिल	सरायॅ अकिल
36	"	फतेहपुर	बिन्दकी ·	बिन्दकी
37–	चित्रकूट धाम बांदा	चित्रकूट	मऊ	मऊ
38–	"	हमीरपुर	राठ	राठ
39–	"	महोबा	चरखारी	चरखारी
40–	मुरादावाद	रामपुर	मिलक	मिलक
41–	"	सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी
42–	"	अमरोहा	गजरौला	गजरौला
43–	"	बिजनौर	चॉदपुर	चॉदपुर
44–	मेरठ	वागपत	वडौत	वडौत
45–	"	बुलन्दशहर	डिवाई	डिवाई
46–	"	गाजियावाद	मुरादनगर	मुरादनगर
47–		हापुड	वावूगढ	कुचेसर चौपला
48–	अलीगढ	हाथरस	साशनी	साशनी
49–	"	एटा	अलीगंज	अलीगंज
50–	"	कासगंज	गंजडुण्डवारा	गंजडुण्डवारा
51–	झांसी	जालौन	जालौन	जालौन
52–	"	ललितपुर	तालवेहट	तालवेहट
53–	आगरा	आगरा	अछनेरा	पुलिस चौकी किरावली
54–		मथुरा	गोर्वधन	गोर्वधन
55–	"	फिरोजाबाद	सिराजगंज	सिराजगंज
56–	"	मैनपुरी	करहल	करहल
57–	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	बुढ़ाना	बुढ़ाना
58–	"	शामली	कैराना	कैराना
59–	बरेली	वदायूॅ	विल्सी	विल्सी
60–	"	शाजहॉपुर	जलालावाद	जलालावाद
61–	"	पीलीभीत	पूरनपुर	पूरनपुर

5– प्रस्तावित एक महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु जनशक्ति महिला उप निरीक्षक–01, पुरूष मुख्य आरक्षी–02, महिला आरक्षी– 02, पुरूष आरक्षी–02 कुल–61 महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र हेतु कुल 427 पदों के प्रस्तावित पद व उपकरणों/संसाधनों पर आने वाला आवर्तक रू0–17,68,46,320/–एवं अनावर्तक रू0–1,52,80,500/–इस प्रकार कुल व्ययभार रू–19,21,26,820/– अनुमानित है, जिसका विवरण कमशः परिशिष्ट "क" पर संलग्न है, प्रश्नगत व्ययभार कमांक 1, 2, 3 लेखाशीर्ष: "2055–पुलिस आयोजनेत्तर–109–जिला पुलिस–03–जिला पुलिस (मुख्य)" एवं संचार उपकरणों/फर्नीचर के कय सुसंगत मदों के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है, महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र स्वीकृति की दशा में प्रासंगिक मदों में अनुपूरक/ पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था

कराया जाना अपरिहार्य होगा। प्रस्ताव की बजटरी समीक्षा पुलिस मुख्यालय के बजट अनुभाग से करा ली गयी है एवं वित्त नियत्रंक सहमत है।

6— अतएव अनुरोध है कि कृपया **61 महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र** की स्थापना एवं उन्हें थाने का दर्जा प्रदान कराने के साथ ही विभिन्न प्रकार के कुल **427** पदों की शासकीय/वित्तीय स्वीकृति यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

(बी0पी0जोगदण्ड)

अपर पुलिस महानिदेशक,मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के परिपत्र संख्या डीजी—सात—एस—3(43)2020 दिनांक 24—02—2021 एवं पुलिस महानिदशेक,उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देश के कम मे ।

2— अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) उ0प्र0 लखनऊ ।

3—समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स, उ0प्र0 ।

4— समस्त पुलिस महानिरीक्षक,परिक्षेत्र उ0प्र0 ।

5—समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

6—समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,उ0प्र0 प्रभारी जनपद।

7—अनुभाग—3/ख(बजट), उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ।

8— सन्दर्भ लिपिक अनुभाग 3/ख उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ।

परिशिष्ट–'क'

एक"महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र" की स्थापना हेतु प्रस्तावित जनशक्ति/पदो के सृजन के सम्बन्ध में पे–मैट्रिक्स एवं न्यूनतम वेतन के आधार पर व्ययभार का विवरण निम्नवत् हैः–

(रूपयें में)

क0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान लेवल	वेतन मान लेवल	ग्रेड वेतन	मैट्रिक्स चार्ट द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार न्यूनतम वेतन	एक माह का वेतन	मंहगाई भत्ता 17%	एक माह का अति0 वेतन	बोनस 6908	पौष्टिक आहार भत्ता (1500,1350 1200)	धुलाई भत्ता (300, 188,156)	वर्दी भत्ता आवर्तक	वर्दी भत्ता अनावर्तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	महिला उपनिरीक्षक	1	9300-34800	6	4200	35400	35400	6018	41418	6908	1200	188	0	7500
2	पुरूष मुख्य आरक्षी	2	5200-20200	4	2400	25500	51000	8670	59670	13816	3000	376	6000	0
3	महिला आरक्षी	2	5200-20200	3	2000	21700	43400	7378	50778	13816	3000	376	6000	0
4	पुरूष आरक्षी	2	5200-20200	3	2000	21700	43400	7378	50778	13816	3000	376	6000	0
	योग	7					173200	29444	202644	48356	10200	1316	18000	7500

वार्षिक गणना

मानक मद	आवर्तक		अनावर्तक
01 वेतन X 12 माह हेतु	2078400		0
अतिरिक्त वेतन	202644		0
वोनस	48356		0
03 मंहगाई भत्ता X 12 माह हेतु	353328		0
06 अन्य भत्ता X 12 माह हेतु	138192		0
51–वर्दी व्यय	18000		7500
योग	**2838920**		**7500**

इस प्रकार 61 "महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र'' की स्थापना पर आने वाला व्ययभार	**173174120**		**457500**

एक"महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र" की स्थापना के सम्बन्ध में उपकरणों/संयत्रों सहित सभी मदों पर आने वाला आवर्तक एवं अनावर्तक का मदवार विवरणः—

कम	उपकरण/संसाधन का नाम	संख्या	दर	आवर्तक	अनावर्तक
1	स्टैटिक सेट	2	28000	4000	56000
2	हैण्ड हेल्ड सेट	2	18000	4000	36000
3	टेलीफोन	1	1000	15000	1000
4	जलकर/जलप्रभार		0	1200	0
5	स्टेशनरी		0	6000	0
6	बिजली		0	12000	0
7	फर्नीचर		0	0	150000
8	मकान किराया		0	18000	0
	योग			**60200**	**243000**
प्रस्तावित 61 "महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र" हेतु अनुमानित कुल व्ययभार				**3672200**	**14823000**

एक "महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र" की स्थापना हेतु मानक मदवार व्यय का विवरणः—

मद का विवरण	आवर्तक व्यय	अनावर्तक व्यय
01—वेतन	2078400	0
01 माह का अतिरिक्त वेतन	202644	0
बोनस	48356	0
03—महगाई भत्ता	353328	0
06—अन्य भत्ता	138192	0
08—कार्यालय व्यय(वर्दी व्यय)	18000	7500
स्टैटिक सेट	4000	56000
हैण्ड हेल्ड सेट	4000	36000
09—विद्युत देय	12000	0
10—जलकर/जलप्रभार	1200	0
11—लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	6000	0
12—फर्नीचर एवं उपकरण	0	150000
13—टेलीफोन पर व्यय	15000	1000
17—किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	18000	0
योग	**2899120**	**250500**
इस प्रकार 61 "महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र' गठित होने पर आने वाला व्ययभार	**176846320**	**15280500**
इस प्रकार 61"महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र' गठित होने पर कुल व्ययभार (आवर्तक एवं अनावर्तक सहित)	**192126820**	

व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

टॉवर–2 पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ–226002

संख्याः डीजी–सात–एस–3(43)2020 दिनांकः फरवरी 25, 2021

सेवा में,

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय 25-2-2021

यह देखने में आया है कि सभी जनपदों में एक ही महिला थाना होने के कारण महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में काउन्सिलिंग में बहुत अधिक विलम्ब होता है। फलस्वरूप पीडित महिलाओं द्वारा शिकायत किये जाने के उपरान्त भी प्रत्यक्ष रुप से मामले में सुनवाई नहीं हो पाती है और काफी अधिक संख्या में मामले लम्बित रहते हैं। साथ ही जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों से महिलाओं को आने में भी असुविधा होती है।

2. ऐसी समस्याओं के निराकरण हेतु समस्त जनपदों में उपलब्ध अपर पुलिस अधीक्षकों के अधीन एक–एक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना किया जाना है। इसके लिये निम्न प्रकार कार्यवाही की जायेगी :–

(1) यह रिपोर्टिंग पुलिस चौकी जनपद में स्थापित महिला पुलिस थाने से सम्बद्ध रहेगी। इन चौकियों की स्थापना दूरस्थ सर्किल मुख्यालय के थाना परिसर में की जा सकती है।

(2) इस रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना तदर्थ आधार पर की जायेगी एवं इसके लिये निम्न प्रकार स्टाफ जनपदीय पुलिस द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा :–

1. महिला उप निरीक्षक– 01 (चौकी प्रभारी)
2. पुरूष मुख्य आरक्षी– 02
3. महिला आरक्षी– 02
4. पुरूष आरक्षी– 02

(3) इस रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के लिये आवश्यक संसाधन एवं स्टेशनरी आदि जनपद स्तर से उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) दिनांक 08.03.2021 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का उद्घाटन मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा कराया जा सकता है। इस उद्घाटन कार्यक्रम की रूपरेखा पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा तैयार कर समय से समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. अतः उपरोक्तानुसार रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों की स्थापना के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही समय से कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन से अवगत करायें। साथ ही उपरोक्तानुसार चौकी की विधिवत स्थापना हेतु पूर्ण विवरण एवं व्ययभार सहित एक युक्तिसंगत प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध करायें ताकि उस पर शासन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करायी जा सके।

(एच0सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 ।
2 अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों की स्थापना के सम्बन्ध में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को भेजने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।
3 अपर पुलिस महानिदेशक, वीमेन पावर लाइन-1090, उ0प्र0 ।
4 अपर पुलिस महानिदेशक 'स्थापना', उ0प्र0 ।
5 समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।